न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः **2848 सन् 2026**,
शिव कुमार पुत्र रमेश, निवासी ग्राम तलवार, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।
मुकदमा अपराध संख्याः–338 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः–108 व 352 बी.एन.एस.
थानाः–डिबाई, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

01. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. संक्षेप में प्राथमिकी के कथन इस प्रकार है कि वादनी मुकदमा अंगुरी देवी पत्नी स्व0 मनवीर सिंह, निवासी ग्राम तलवार, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर ने थाना डिबाई पर सूचना दी कि शिव कुमार पुत्र रमेश वादनी की बहु काजल से फोन पर बात करता था। इस बात का पता जब वादनी के पुत्र रामवीर को चला, तो उसे शिव कुमार व उसकी पत्नी वर्षा से इस बात की शिकायत की, तब इन लोगों ने वादिनी के पुत्र रामवीर को गाली देकर भगा दिया कि ''हम ऐसा ही करेगें, तुझसे जो हो सके कर ले, मैं तेरी बीबी से बात करता हूँ तुझे अगर जरा भी शर्म है, तो कही जाकर मर जा'' विपक्षी शिव कुमार व वर्षा की इन बातों से दुखी होकर एवं इनके उकसाने के कारण वादनी के पुत्र रामवीर ने दिनाँक 30.04.2026 को शाम करीब 08.00 बजे कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, आवेदक/अभियुक्त रंजिशन झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नही किया। कथित मामले में शिकायतकर्ता और आवेदक/अभियुक्त एक दूसरे को पहले से जानते है और मामला केवल आपसी कहा सुनी का है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास नही है। प्रथम सूचन रिपोर्ट चार दिनों के विलम्ब से आपसी वैमनस्थ के कारण सोच समझकर करायी गयी है। एफ0 आई0 आर0 में आवेदक/अभियुक्त पर लगाये गये उकसाने और अपमानित करने के आरोप पूरी तरह से निराधार, मौखिक और सामान्य प्रकृति के है। इनके समर्थन मे कोई भी ठोस या स्वतंत्र साक्ष्य पुलिस रिकार्ड में उपलब्ध नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनाँक 05.05.2026 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

06. अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

07. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि आवेदक/अभियुक्त वादनी की पुत्र वधु अर्थात् रामवीर सिंह (मृतक) की पत्नी से फोन पर वार्ता करता था, वादनी के पुत्र रामवीर सिंह (मृतक) के मना करने पर उसके साथ गाली गलौंच करना एवं आत्महत्या हेतु उकसाने पर रामवीर सिंह द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 18:00:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मृतक रामवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण कार्डियों पलमोनरी रेस्ट से होना तथा जहर की आशंका हेतु विसरा संरक्षित कर परीक्षण हेतु भेजे जाना दर्शित है।

इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि वादिनी और अभियुक्त के बीच पुराना विवाद रहा है। कथित मामले में वादनी और अभियुक्त एक दूसरे को पहले से जानते है और मामला केवल आपसी कहा–सुनी का है। प्रस्तुत प्रकरण की प्राथमिकी 04 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी में अभियुक्त पर लगाये गये उकसाने और अपमानित करने के आरोप पूरी तरह निराधार, मौखिक और सामान्य प्रकृति के हैं।

आवेदक/अभियुक्त व रामवीर सिंह (मृतक) की पत्नी के माध्यम फोन पर वार्ता होने के सम्बन्ध में कोई कॉड डिटेल केस–डायरी पर दर्शित नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/ अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त दिनॉक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल की जायेगी।

3. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015

दिनांक : 01.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.